आत्यायिक / महत्वपूर्ण

(1.0)

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

संख्या : 488 / शिविर–2017 दिनांक : 10 जनवरी, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

इस कार्यालय के कार्यालय–ज्ञाप संख्याः 994 / शिविर–2016 दिनांकः 27मई, 2016 के अन्तर्गत जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि "जनपद के किसी भी सरकारी कार्यालयों में किसी अराजकतत्व या गुट द्वारा तालाबन्दी की जाती है या जबरदस्ती सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्य करने से रोका जाता है, तो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष यथावश्यक पुलिस बल का सहयोग लेते हुए कार्यालय को नियमानुसार संचालित एवं कर्मचारियो द्वारा शासकीय कार्य निष्पादित कराते हुए ऐसे अराजकतत्वों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं मे एफ0आई0आर दर्ज करायेगें।"

2 यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा तद्हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन नही किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा जानबूझकर ऐसी कुप्रवृत्ति का प्रोत्साहन करते हुए अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती जा रही है एवं तदोपरान्त उसके विरूद्ध अनुशासनिक एवं विधिक कार्यवाही आरम्भ करनी पड़ेगी।

3. जैसा कि सभी संबंधित अवगत है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2017 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता प्रदेश में लागू हो गयी है एवं सम्पूर्ण जनपद क्षेत्र में दं0प्र0सं0 की धारा–144 भी वर्तमान में विद्यमान है। ऐसी परिस्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत और भी आवश्यक है कि जन सामान्य में स्पष्ट संदेश जाय कि प्रशासन निष्पक्ष है एवं पूर्ण कुशलता व प्रबलता के साथ जनपद में कानून–व्यवस्था बनाये रखकर निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध और सक्षम है।

4 इन परिस्थितियों में यदि कुछ अराजकतत्वों द्वारा सरकारी कार्यालयों में कार्य बाधित कर तालाबन्दी आदि की जाती है, तो इससे न केवल प्रशासन की छवि धूमिल होती है, अपितु आम जनमानस के मन में भी प्रशासन के प्रति अविश्वास एवं भरोसा कम होता है तथा प्रशासकीय गरिमा विखण्डित होती है, जिससे कहीं न कहीं निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति नही हो पाती है।

अतः आप सभी को स्पष्ट निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 पुलिस अधीक्षक,प्रतापगढ को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षो / क्षेत्राधिकारियों आदि को उक्त आदेश का अनुपालन एवं तद्हेतु कार्यालयध्यक्षों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2 मुख्य विकास अधिकारी,प्रतापगढ़।

3 अपर जिलाधिकारी(वि / रा / भू–रा) / अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी / पश्चिमी),प्रतापगढ़।

4 प्रभारी अधिकारी,नजारत, कलेक्ट्रेट–प्रतापगढ़।

5 समस्त जिला स्तरीय / तहसील स्तरीय / ब्लाक स्तरीय एवं अन्य समस्त संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

6 जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़ को समस्त संबंधित सर्वसुलभ समाचार पत्रो मे निःशुल्क प्रकाशन सुनिश्चित कराने हेतु।

7 डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

Scanned by CamScanner